HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

1. S.B. Criminal Misc. Bail Application No. 5209/2026

Asif S/o Abdul Gaffar, Aged About 21 Years, R/o Sherpur, Police Station Kundera, District Sawai Madhopur.
(At Present Confined In District Jail Sawai Madhopur).

----Applicant

Versus

The State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

Connected With

2. S.B. Criminal Misc. Bail Application No. 7746/2026

Shiv S/o Mahesh Kumar, Aged About 20 Years, R/o Jamaat Newai, Police Station Newai, District Tonk.
(Accused Confined In District Jail Sawai Madhopur).

----Applicant

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Applicant(s)	:	Mr. Tarun Jain, Adv. Mr. Durgesh Kumar Jangid, Adv. Mr. Rajendra Singh Tanwar, Adv.
For Respondent(s)	:	Mrs. Manju Dave, Addl. G.A.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR
(VACATION JUDGE)

Order

03/06/2026

1. प्रार्थीगण–अभियुक्तगण **1. आशिफ पुत्र अब्दुल गफ्फार, 2. शिव पुत्र महेश कुमार** की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना–पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–483 के अन्तर्गत **पुलिस थाना–कुण्डेर, जिला–सवाई माधोपुर** में दर्ज **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–56/2026** अपराध अन्तर्गत धारा 319(2), 318(4) भारतीय न्याय

संहिता, 2023 व धारा 66सी व 66डी सूचना प्रोद्यौगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 में पेश किया गया है।

2. उक्त दोनों जमानत प्रार्थना–पत्र एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित होने के कारण इनका निस्तारण सुविधा की दृष्टि से इस एक आदेश द्वारा किया जा रहा है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण–अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को इस मामले में झूठा फंसाया गया है तथा प्रार्थी/अभियुक्त आशिफ खान के बैंक खाते के संबंध में साईबर ठगी की दो शिकायतें दर्ज होना पाई गई हैं, जिसमें पहली निलय निलखण्डभाई देशाई व दूसरी आर.आर. सत्यनारायण की दर्ज हुई हैं। मामले में कुल 80 हजार रुपये साईबर ठगी कर कमाये जाने का आरोप लगाया गया है। मामले में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है तथा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 319(2), 318(4), 316(2), 112(2), 61(2)ए तथा सूचना प्रोद्यौगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 66सी व 66डी के तहत दंडनीय अपराध के आरोप में आरोप पत्र पेश किया जा चुका है, जो मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का यह भी तर्क है कि मामले में जो दो परिवादी हैं, उन्होंने मामले में बयान देने से इनकार कर दिया है, जिसका चार्जशीट में स्पष्ट अंकित किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण 20–21 वर्षीय नवयुवक हैं, जिनके खिलाफ समान प्रकृति का कोई अन्य मामला पंजीबद्ध होना नहीं पाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त आशिफ दिनांक 13.03.2026 से तथा प्रार्थी/अभियुक्त शिव दिनांक 01.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः उपरोक्त तर्कों के आधार पर प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

4. इसके विपरीत विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए व्यक्त किया कि यह मामला साईबर ठगी का है, देश में बड़े स्तर पर साईबर ठगी की जा रही है तथा भोले–भाले लोगों को साईबर ठगी कर

नुकसान पहुँचाया जा रहा है। अतः उक्त आधारों पर प्रार्थीगण–अभियुक्तगण के जमानत आवेदन–पत्र को खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

5. बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण 20–21 वर्षीय नवयुवक हैं, जिनके खिलाफ समान प्रकृति का अन्य कोई मामला पंजीबद्ध होना नहीं पाया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के खिलाफ लगाए गए आरोप मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं। प्रार्थी/अभियुक्त आशिफ दिनांक 13.03.2026 से तथा प्रार्थी/अभियुक्त शिव दिनांक 01.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं। प्रकरण में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना हस्तगत मामले में प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. परिणामतः प्रार्थीगण–अभियुक्तगण **1. आशिफ पुत्र अब्दुल गफ्फार, 2. शिव पुत्र महेश कुमार** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्रों को स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थीगण–अभियुक्तगण **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–56/2026, पुलिस थाना–कुण्डेरा, जिला–सवाई माधोपुर** में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उपस्थिति हेतु प्रत्येक प्रार्थी–अभियुक्त **एक लाख रूपये** का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा **पचास–पचास हजार रूपये** की दो तस्दीकशुदा सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करा देवे तथा प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो हस्तगत प्रकरण में उन्हें अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वे विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर व जब भी उन्हें बुलाया जावे, न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

8. प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को यह भी आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण–अभियुक्तगण, विचारण की समाप्ति तक हर महीने के चतुर्थ सप्ताह में संबंधित पुलिस थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे तथा संबंधित

थानाधिकारी, प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की उपस्थिति रिपोर्ट हर महीने विद्वान विचारण न्यायालय को भेजा जाना सुनिश्चित करेगा। यदि प्रार्थीगण–अभियुक्तगण द्वारा उन पर अधिरोपित उक्त शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो विद्वान लोक अभियोजक, संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की जमानत को खारिज करवाये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

9. उक्त आदेश की प्रति, संबंधित एस.एच.ओ. को अनुपालनार्थ हेतु भेजी जावे।

ASHUTOSH KUMAR,V.J.

42-43/KESHAV VERMA